अपील 20-I-15

समक्ष न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल, ग्वालियर

अपील क्रं. 20-I-/2015

अपीलार्थी : **रामप्रकाश पाठक पिता सूरज पाठक**
निवासी – ग्राम – खम्हरिया तह. जबलपुर

विरूद्ध

उत्तरवादी : **म. प्र. शासन**

CANCELLED

(3/10/11 ... द्वारा प्रस्तुत ... 2152 ... NOV 2014 ... अधीक्षक ... जबलपुर संभाग)

XXXIX(a)-BR(H)-11

(36)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक A-20-1/2015 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२०-1-15 जबलपुर कैम्प	आवेदक अधिवक्ता श्री संजय कुशवाह उप०। उन्हें ग्राह्यता पर सुना। २- आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्र.क्र. अपील 925/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दि. 22-9-14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध में आवेदक द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। 3- अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा भू-राजस्व संहिता की धारा 237 के प्रावधान के अनुरूप कार्यवाही की गई है जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखा गया है, जो उचित है। तीसरी अपील सुनने का कोई प्रावधान नहीं होने से प्रथमदृष्टया यह अपील सुनवाई हेतु अग्राह्य की जाती है। (हस्ताक्षर) प्रशासकीय सदस्य	